अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।

क्रमॉकः–एफ–(   )अकाद / आकाशि / 2019–20 / 600-04   दिनांक :– 11 दिसम्बर 2019

सम्बन्धित प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान ।

विषयः–**विभागीय ऑनलाइन ई–लाईब्रेरी हेतु महाविद्यालय में व्याख्यानों की रिकॉर्डिंग हेतु प्रभावी कार्यवाही कराने बाबत् ।**

संदर्भः–आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा का समसंख्यक पत्रांक 558–564 दिनांक 27.11.2019 एवं 581 दिनांक 03.12.2019 ।

उपर्युक्त संदर्भित पत्रों के क्रम में लेख है कि दिनांक 04 दिसम्बर 2019 को शासन सचिव महोदया, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया कि विभागीय ई–लाईब्रेरी के लिये व्याख्यानों की रिकॉर्डिंग हेतु 209 चयनित संकाय सदस्यों द्वारा महाविद्यालयों में उनके व्याख्यानों की रिकॉर्डिंग अनिवार्य रूप से की जानी है । यदि चयनित संकाय सदस्यों के अतिरिक्त कोई भी संकाय सदस्य अपने व्याख्यान रिकॉर्ड करवाना चाहें, तो उन्हें प्राचार्य अनुमति प्रदान कर सहयोग करें। इस सम्बन्ध में आवश्यक तकनीकी व्यवस्था यथा – लाईट, बोर्ड, पैन, हार्ड डिस्क इत्यादि उपलब्ध कराया जाना प्राचार्य सुनिश्चित करें । दैनिक रिर्कोडेड व्याख्यानों की सूचना आयुक्तालय के पत्रांक 581 दिनांक 03.12.2019 के द्वारा सम्बन्धित ई–लाईब्रेरी मॉनिटरिंग समिति के सदस्यों को प्रतिदिन सायं 5.00 बजे तक आवश्यक रूप से उपलब्ध करावें । **उल्लेखनीय है कि यह रिकॉर्डिंग महाविद्यालय में सम्बन्धित संकाय सदस्य द्वारा उसकी कक्षा में दिये जा रहे व्याख्यानों की, की जानी है, जिसे मोबाईल के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाना सम्भव है । रिर्कोडिंग हेतु विभागीय स्तर से जारी दिशा निर्देश एवं प्रक्रिया का निर्धारण संलग्न परिशिष्ट में अंकित बिन्दुओं के आधार पर सुनिश्चित करें ।**

यदि आपके महाविद्यालय में रिर्कोडेड व्याख्यानों की संख्या 25 से अधिक हो गई, तो इस सूचना को सम्बन्धित RACE के नोडल सेन्टर को प्रेषित करें । RACE नोडल सेन्टर के प्राचार्य सम्बन्धित विषयों हेतु एक त्रिसदस्यीय विषय विशेषज्ञ समिति का गठन करें । इन रिर्कोडेड व्याख्यानों को गुणवत्ता, विषय वस्तु व तकनीकी दृष्टि से विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमोदित करावें ।

शासन सचिव महोदया ने निर्देश दिये हैं कि सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य प्राथमिकता से इन व्याख्यानों को दैनिक स्तर पर संकाय सदस्यों से रिकॉर्ड कराते हुये प्रतिदिन प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें। **विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि यह कार्य अति महत्वपूर्ण प्रवृत्ति का है। इस कार्य में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाये । इस कार्य की दैनिक प्रगति रिपोर्ट आयुक्तालय को भिजवाया जाना भी प्राचार्य व्यक्तिशः सुनिश्चित करें ।**

संलग्नः–उपर्युक्तानुसार ।

(प्रदीप कुमार बोरड़)IAS
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा
एवं विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा

क्रमॉकः–एफ–(   )अकाद / आकाशि / 2019–20 / 600-04   दिनांक :– 11 दिसम्बर 2019

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर ।
2. समस्त संयुक्त निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
3. सम्बन्धित प्रभारी, ई–लाईब्रेरी मॉनिटरिंग समिति, RACE प्रभारियों सम्बन्धित कार्यक्षेत्र में आ रहे महाविद्यालयों से रिकोडेड व्याख्यानों का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रेषित है ।
4. वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर अपलोड करने हेतु प्रेषित है ।

आयुक्त, कॉलेज शिक्षा

परिशिष्ट

रिकॉर्डिंग हेतु निम्न बिन्दुओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जावे

1. रिकॉर्डिंग, महाविद्यालय में सम्बन्धित संकाय सदस्य द्वारा उसकी नियमित कक्षा में **(प्रतियोगिता दक्षता की कक्षाएं नहीं)** दिये जा रहे व्याख्यानों की, की जानी है ।
2. जिस मोबाईल में रिकॉर्डिंग की जानी है, वह व्यक्तिगत हो । व्यक्तिगत मोबाईल की अनुपलब्धता की स्थिति में महाविद्यालय में कार्यरत अन्य संकाय सदस्यों के मोबाईल की सहायता ली जा सकती है ।
3. रिकॉर्डेड व्याख्यानों में ऑडियो/वीडियो की गुणवत्ता स्तरीय रखने का प्रयास हो । इस हेतु मोबाईल को उचित दूरी व स्थान पर स्थिर रखा जावे ।
4. व्याख्यानों की रिकॉर्डिंग सुचारू रूप से होने वास्ते, कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों का सहयोग भी लिया जा सकता है ।
5. व्याख्यान जिस कक्षा कक्ष में रिकॉर्ड किया जा रहा है, उसमें प्रकाश व्यवस्था व कक्ष के अंदर व बाहर कोई शोर/व्यवधान न हो, इसका ध्यान रखा जावे, जिससे की चित्र व ध्वनि स्पष्ट हो ।
6. व्याख्यान हेतु बोर्ड पर लिखे गये अक्षर स्पष्ट एवं पठनीय हों ।
7. व्याख्यान को मोबाईल से रिकॉर्ड करने के बाद, इसे एक हार्ड डिस्क में संधारित करते रहें। **(न्यूनतम् 02 टीबी की हार्ड डिस्क सम्बन्धित प्राचार्य उपलब्ध करावें।)**
8. संधारित व्याख्यानों की विषयवार, शीर्षकवार एक सूची तैयार कर लें ।
9. प्रत्येक माह के अन्त में, हार्ड डिस्क में संधारित व्याख्यानों को सम्बन्धित RACE Centre के माध्यम से गठित तीन सदस्यीय विषय विशेषज्ञ समिति से अनुमोदित करवायें । इस कार्य को प्राचार्य प्राथमिकता से देखें ।
10. **अनुमोदित व्याख्यानों को You Tube पर अपलोड हेतु दिशा निर्देश अलग से प्रसारित किये जायेगें।**
11. प्रतिदिन रिकॉर्ड किये गये व्याख्यानों की संख्या से सम्बन्धित मॉनिटरिंग समिति के सदस्य को प्रतिदिन सांय 05 बजे से पूर्व अनिवार्य रूप से अवगत करवायें ।
12. इस कार्य की प्रभावी मॉनिटरिंग, सम्बन्धित प्राचार्य व्यक्तिशः सुनिश्चित करें ।